# Mitch an Usique The Gazette of India

# असाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) <sup>1</sup> PART II— Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] No. 131] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2002/फाल्गुन 28, 1923

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2002/PHALGUNA 28, 1923

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

# अधिस्चना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2002

सा.का.नि. 214( अ ).—केन्द्रीय सरकार, स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषि और मन:प्रभाषी पदार्थ, (संशोधन) नियम, 2002 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में.—
  - (1) नियम 65 में.--
    - (क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
      - ''परंतु किसी राज्य में औषधि नियंत्रण प्रभारी प्राधिकारी जिसे ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थ का, विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।'';
    - (ख) उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में अंत में प्रयुक्त, ''अनूसूची 1'' शब्द और अंक के पश्चात् ''और अनुसूची 3'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;
  - (ii) अनुसूची 1 में उपशीर्ष 2 "मन:प्रभावी पदार्थ" के अधीन मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
  - (iii) अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

960 GI/2002

# ''अनुसूची 3

# [नियम 65(1) परंतुक देखें]

# केवल निर्यात प्रयोजन के लिए मन:प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति का अनुदान

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-सांपत्तिक नाम	अन्य गैर-सांपत्तिक नाम	रसायन का नाम
1	2	3	4
1.	किलोराजेपाटे		7-कलोरो-2, 3-डिहाइड्रो-2-आक्सो- 5 फिनायल:- 2 आईएच, 4-बैन्जोडाइ- जेपाइन-3 कारबाक्सीलिक एसिड''

[फा. सं. वी/26/2000-एनसी II]

पी. सी. भट्ट, अवर सचिव

टिप्पण: —मूल नियम भारत का राजपत्र में सा.का नि. 837(अ), तारीख 14 नवंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें सा.का.नि. 82, तारीख 14 फरवरी, 1995 और सा.का.नि. 350(अ), तारीख 25 जून, 1997 द्वारा संशोधन किए गए हैं।

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2002

- G.S.R. 214(E).— In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely
  - 1 (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2002
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
  - 2 In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985,-
    - (1) in rule 65,---
      - (a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely
        - "Provided that the authority in charge of drug control in a State referred to above may issue a licence to manufacture a psychotropic substance specified in Schedule III for the purpose of export only",
      - (b) in sub-rule (3), in the second proviso, after the words and letter "Schedule I" appearing at the end, the words and letters "and Schedule III", shall be inserted,
    - (11) in Schedule I, under sub-heading II "Psychotropic Substances", item 8 and the entries relating thereto shall be omitted,
    - (111) after Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely —

### "SCHEDULE-III

[See rule 65(1) proviso]

## Grant of licence for manufacture of psychotropic substances for export only

Sl No	International non- proprietary names	Ohter non- proprietary names	Chemical name
1	2	3	4
1	Clorazepate		7-Chloro-2, 3-dehydro-2-oxo-5 phenyl -2-IH, 4-benzodiazepine- 3 carboxylic acid"

[F No V/26/2000-NC II]

P C BHATT, Under Secy

Note:—Principal Notification was published in the Gazette of India vide G S R. 837(E), dated 14-11-1985 and amended by G S R 82, dated 14-2-1995 and G S R. 350(E), dated 25-6-1997